



न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, भीनमाल, जिला जालोर(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सरिता नौशाद, "R.J.S."
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दाण्डिक निगरानी प्रकरण संख्या : 69/2026

सी.आई.एस. नंबर:- 69/2026

सी.एन.आर. नंबर:- RJJL050004582026

1. ढाका कंस्ट्रक्शन कम्पनी जरिये प्रोपराईटर मूलाराम पुत्र पेमाराम, उम्र 50 वर्ष, निवासी बिश्नोईयों का वास, धवा प्रथम, जोधपुर, जिला-जोधपुर।

....निगरानीकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये अपर लोक अभियोजक, भीनमाल, जिला जालोर
2. खनिज अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जालोर।

....गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 438 बी.एन.एस.एस., विरुद्ध आदेश दिनांक 07.05.2026, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल, जिला जालोर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 31/2026, पुलिस थाना रामसीन, जिला-जालोर, फौजदारी विविध प्रकरण सं. 107/2026, बअनवान ढाका कंस्ट्रक्शन कम्पनी बनाम राजस्थान राज्य में पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री श्रवण कुमार ढाका, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश

दिनांक : 16.06.2026

1. निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल, जिला जालोर, (एतस्मिन "विद्वान विचारण न्यायालय" के रूप में



पढा जावे) द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांकित 07.05.2026 से व्यथित होकर प्रस्तुत की, जिसे कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर दर्ज की गयी व प्रश्नगत पत्रावली को तलब किया गया। अपर लोक अभियोजक द्वारा लिखित जवाब पेश ना कर मौखिक बहस किये जाने का निवेदन किया गया।

2. बहस उभय पक्ष सुनी गई तथा प्रकरण पत्रावली एवं आलौच्य आदेश का अवलोकन किया। दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी याचिका उल्लेखित अभिकथनों की पुनरावृत्ति करते हुए जाहिर किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने खनिज विभाग की अवैध रूप से तैयार की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट को आधार मानकर वाहन सुपूदगीनामे पर दिया जाना न्यायोचित नहीं मानकर उक्त वाहन को रिलीज करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.05.2026 को अस्वीकार किया है। अधिवक्ता द्वारा जाहिर किया गया कि निगरानीकर्ता द्वारा किस जगह से अवैध खनन किया गया, उस स्थान की कोई मौका फर्द नहीं बनाई गई और न ही स्वतंत्र गवाह लिए गए। अंत में निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त कथनों का विरोध करते हुए निगरानी याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

3. निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के आलौच्य आदेश दिनांक 07.05.2026 की प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गयी। गैर निगरानीकर्ता सं. 2 की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गयी, जिसका अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

आया विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07.05.2026 को पारित आलौच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है अथवा नहीं ?

4. प्रश्नगत दाण्डिक प्रकरण का उदभव दिनांक 16.02.2026 को अवैध बजरी परिवहन होने विषयक थाना पुलिस रामसीन द्वारा निष्पादित की गयी चैकिंग कार्यवाही के आधार पर हुआ, जिसके दौरान सरहद मोदरा में मोदरा से भीमपुरा जाने वाली सड़क पर वाहन डम्पर आरजे 19 जीजी 7142 अवैध बजरी भरी हुई परिवहन होना पाया गया, जिस पर जब्ती की कार्यवाही निष्पादित की गयी और अभियोग अंतर्गत धारा 303(2) बी.एन.एस., धारा



4/21 एम.एम.डी.आर. एक्ट व धारा 15/16 पर्यावरण अधिनियम चाकबद्ध किया गया। तदोपरांत निगरानीकर्ता की ओर से वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने संदर्भित प्रार्थना पत्र संस्थित किया गया , जिसका निस्तारण दिनांक 07.05.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारणार्थ थाना पुलिस तथा खनिज अभियंता खान एवं भू विभाग जालोर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी: बाद सुनवाई आलौच्य आदेश पारित किया गया। आलौच्य आदेश एवं प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें यह दर्शाया गया है कि प्रश्नगत वाहन अवैध बजरी से भरा हुआ था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत State of Raj Vs Jagdish Prasad, SLP (Crl.) No(s). 107/2021 के पैरा सं. 2 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:- "2. That upon the said vehicle under Rule 54, 60 of the R.MMCR Rules, 2017 compound fees of Rs. 25,000/- and Rs. 3500/- (10 fold of the royalty of the seized mineral cost) and as per point No. 5 of the order dated 19.02.2020, passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi the penalty amount of Rs. 2,00,000/-for environment improvement, in this way total amount of Rs. 2,28,500/- is to be recovered, which has not been deposited by the applicant." In view of the above, we set aside the order(s) of the High Court and provide that the vehicles would be released as and when the vehicle' owners make the required deposit mentioned as per the above paragraph no. 2, if the complaint is under the Rules (2017). The above rates would be applicable only where the complaint is under the Rules 2017. इसी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि: - If the complaints are not under the Rules 2017 the High Court may not insist for the same rates being applied. Such petitions would be disposed of on its own merits independently. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत Narayan Singh Vs State Of Rajasthan, S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 3209/2026 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2026 में Chaina Ram Vs. State of Rajasthan (S.B. Criminal Misc. Petition No.597/2024, decided on 19.05.2025) का



हवाला देते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि 8. Consequently, it is held that under the mining laws, the state authorities have the powers for initiating confiscation proceedings in relation to the vehicles seized for violation of the mining laws. It is once, the confiscation proceedings are initiated, the vehicle cannot be released on supurdaginama as prayed by few of the petitioners. However, the said vehicles can only be released on payment of penalty and compounding fees. Whereas. the vehicles qua which no confiscation proceedings have yet been commenced, the competent criminal Court can handover interim custody of the vehicles to its true owner as a criminal Court is not supposed to keep a vehicle detained until the confiscation proceedings are commenced and concluded by the mining department. इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत Mangal Singh Vs State of Rajasthan S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 6539/2024 में पेनल्टी व कम्पाउंडिंग राशि जमा होने के उपरांत वाहन सुपुर्दगी पर दिए जाने का आदेश किया गया।

5. निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर द्वारा जारी अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के जब्त वाहनों के रिलीज के संबंध में मानक प्रक्रिया संचालन (एसओपी) के अनुसार "उप धारा (1) एवं (1)(ए) में वर्णित प्रावधानों के उल्लंघन पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सजा एवं जुर्माने का प्रावधान धारा 21(1) में दिया गया है। धारा 21 की उपधारा (4) में अवैध खनन एवं निर्गमन के मामलों में सक्षम अधिकारी को खनिज, वाहन, मशीनरी, औजार इत्यादि जब्त करने के अधिकार दिये गये हैं। उक्त जब्तशुदा सामग्री को सक्षम न्यायालय के आदेश के उपरान्त अधिहरण/राजसात (Confiscate) किये जाने का उपधारा (4 ए) में प्रावधान है।" एवं "अवैध खनन के मामलों में नियम 54(3) में वर्णित अधिकारियों/तकनीकी कर्मचारियों द्वारा नियम 54(5) के तहत खनिज, वाहन, मशीनरी, औजार इत्यादि जब्त करने का प्रावधान है। उक्त सामग्री जब्त करने की सूचना 72 घण्टे के भीतर अपने वरिष्ठ अधिकारी एवं सक्षम न्यायालय को दिया जाना आवश्यक है।" हस्तगत प्रकरण में पत्रावली से यह परिलक्षित नहीं होता कि जब्ती के उपरांत सक्षम न्यायालय के



समक्ष अधिहरण/राजसात की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कोई कार्यवाही की गई हो अथवा न्यायालय से राजसात संबंधी कोई आदेश प्राप्त किया गया हो। सिर्फ वसूली बाबत नोटिस जारी करना खनिज अभियंता, जालोर की तथ्यात्मक रिपोर्ट से प्रकट होता है। अतः एसओपी तथा प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के अनुसार वाहन को राजसात (Confiscation) किए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई है, जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान में वाहन केवल जब्तशुदा स्थिति में है तथा उसके संबंध में अधिहरण /राजसात की विधिसम्मत कार्यवाही लंबित अथवा अप्रारम्भित है। चूंकि खनिज विभाग द्वारा इस विषयक कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की तो ऐसी अवस्था में उक्त विभाग द्वारा गणित की गयी कंपाउंडिंग फीस के अतिरिक्त एनजीटी की राशि 3,00,000 रुपये, जो कि विधिक दृष्टि से बहुत अधिक है, को वर्तमान प्रक्रम पर वसूल करना उचित नहीं होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 2003 (एस.सी.) पेज 668, सुन्दरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य में सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए मालखाने को अनावश्यक सुरक्षित रखने को उचित नहीं बताया है और उसका निस्तारण नियमानुसार आवश्यक होने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं।

6. पूर्वोक्त विवेचनानुसार न्यायालय हाजा के मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 07.05.2026 अपास्त किए जाने योग्य पाया जाता है।

क्रियाशील आदेश

7. परिणामतः निगरानीकर्ता की ओर से गैर निगरानीकर्तागण के विरुद्ध प्रस्तुत हस्तगत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 438 बी.एन.एस.एस., स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 07.05.2026 को अपास्त किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी, खनिज की रॉयल्टी राशि 9,600/- रुपये तथा कम्पाउण्ड राशि 1,00,000/- रुपये अर्थात् कुल 1,09,600/- रुपये (एक लाख नौ हजार छः सौ रुपये) जमा करवाए तथा रुपये 25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये) का सुपुर्दगीनामा व इसी राशि का जमानतनामा निम्न शरायतों के साथ उनकी सन्तुष्टि अनुसार प्रस्तुत कर तस्दीक करवाये तो प्रार्थना पत्र उल्लेखित (फर्द जब्ती अनुसार) पर वाहन डम्पर पंजीयन नंबर आरजे 19 जीजी 7142, इंजन



नंबर 926956D0096290, चैसिस नंबर MEC841EBGLP094647 प्रार्थी को अस्थायी रूप से सुपुर्द किया जावे, बशर्त किसी अन्य प्रकरण में रोके जाने की आवश्यकता नहीं हो:-

- (i). कि प्रार्थी उक्त वाहन को इस प्रकरण के अंतिम निस्तारण तक किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को किसी भी माध्यम से अंतरित नहीं करेगा,
- (ii). कि प्रार्थी उक्त वाहन को खर्द-बुर्द नहीं करेगा तथा ऐसा कोई काम नहीं करेगा, जिनसे उनकी पहचान न हो तथा उनकी कीमत कम हो,
- (iii). कि प्रार्थी से उक्त वाहन को आहूत किये जाने पर वह अपने खर्च व हर्ज से न्यायालय अथवा अनुसंधान अधिकारी के समक्ष लाकर पेश कर देगा।
- (iv). यहां यह उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि खनिज विभाग यदि राजसात की कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाता है तो वह वाहन को विधि अनुसार पुनः प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

विद्वान विचारण न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि उन्मोचन आदेश पर इस अमर का नोट लगाया जावे कि थानाधिकारी उक्त वाहन को प्रार्थी को सुपुर्द करने से पूर्व वाहन के चारों तरफ से चार रंगीन केबिनेट साईज के छायाचित्र भी खिंचवायेगा, जिसमें वाहन के इंजन, चैसिस नंबर स्पष्ट दिखाई दे, तत्पश्चात नियमानुसार पंचनामा बनाकर प्रार्थी को उक्त वाहन बएवज रसीद सुपुर्द करे। छायाचित्र का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा।

इस आदेश की सत्यप्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब लौटाया जावे।

(सरिता नौशाद)

अपर सेशन न्यायाधीश,
भीनमाल, जिला-जालोर

8. आदेश आज दिनांक 16.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सरिता नौशाद)

अपर सेशन न्यायाधीश,
भीनमाल, जिला-जालोर